प्रेस नोट
दिनांक 08.07.2025

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–245/2025 धारा 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मयंक वर्मा पुत्र मनोज वर्मा नि0 बुढवलिया थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को जरवल रोड तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07/07/2025 को समय लगभग 11:30 बजे प्रार्थिनी शकुन्तला पत्नी स्व. गुरदीन, निवासी ग्राम बुढवलिया, थाना को0 कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कर्नलगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसके पोते मयंक वर्मा पुत्र मनोज वर्मा ने घरेलू विवाद को लेकर जान से मारने की नीयत से उसके पुत्र मनोज वर्मा पर चाकू से हमला कर दिया है। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घायल को उपचार हेतु मुस्तफाबाद सीएचसी भिजवाया गया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 कर्नलगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 08.07.2025 को थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त मयंक वर्मा पुत्र मनोज वर्मा नि0 बुढवलिया थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा को जरवल रोड तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मयंक वर्मा पुत्र मनोज वर्मा नि0 बुढवलिया थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–245/2025 धारा 109(1) बीएनएस थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित सिंह।
02. का0 नवीन कुमार सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.07.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, शारीरिक शोषण व लूटपाट करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–113/2025 धारा 309(4),64,333,115(2),352,351(3),126,316(2),317(2),191(2),190 बीएनएस व 3(1)द,ध,3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट से सम्बन्धित 03 वांछित अभियुक्तों– 01. सतीश कुमार कोरी पुत्र कन्हैयालाल निवासी खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. शिवम सोनकर पुत्र राममंजूर सोनकर निवासी डूमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा 03. नाथूराम चौधरी पुत्र रामसुन्दर चौधरी निवासी तकिया बेलभरिया मौजा डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादिनी मोनी पत्नी संजय कुमार, निवासी मोतीगंज बाजार (गढ़ी), थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना मोतीगंज में तहरीर दी गयी कि वर्ष 2024 में सतीश कुमार पुत्र कन्हैयालाल निवासी ग्राम खिरिया ने नौकरी दिलाने के नाम पर ₹6,00,000/– (छह लाख रुपये) लिए और प्रार्थिनी के पति के हस्ताक्षरयुक्त तीन खाली चेक लिए थे तथा मुझे नौकरी में फसाने व पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर सतीश कुमार द्वारा मुझसे कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने विरोध किया, तो आरोपी और अधिक डराने–धमकाने लगा। दिनांक 05 जुलाई 2025 को समय लगभग 5:30 बजे सायं जब प्रार्थिनी अपने बच्चों के साथ घर पर थी और उसके पति गोण्डा गए हुए थे, तब सतीश कुमार अपने साथी नाथू चौधरी, कन्हैयालाल एवं 4 अज्ञात लोगों के साथ प्रार्थिनी के घर में जबरन घुस आये और उससे मारपीट की। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए, तब आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहोबा की ओर भाग गए। इसी दौरान प्रार्थिनी के पति संजय कुमार अपनी अल्टो कार से घर लौट रहे थे जिन्हें कहोबा के पास विपक्षीगणों ने रोका, मारा–पीटा और डराया–धमकाया तथा एक कागज पर जबरन कुछ लिखवाया और उनकी कार भी छीन ली। वादिनी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 08.07.2025 को घटना में संलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों–01. सतीश कुमार कोरी पुत्र कन्हैयालाल निवासी खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02. शिवम सोनकर पुत्र राममंजूर सोनकर निवासी डूमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा 03. नाथूराम चौधरी पुत्र रामसुन्दर चौधरी निवासी तकिया बेलभरिया मौजा डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गयी अल्टो कार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सतीश कुमार कोरी पुत्र कन्हैयालाल निवासी खिरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. शिवम सोनकर पुत्र राममंजूर सोनकर निवासी डूमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. नाथूराम चौधरी पुत्र रामसुन्दर चौधरी निवासी तकिया बेलभरिया मौजा डडवा दसवतिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–113/2025 धारा 309(4),64,333,115(2),352,351(3),126,316(2),317(2),191(2),190 बीएनएस व 3(1)द,ध,3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त नाथूराम का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–415/23, धारा 406,420,504 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01 अदद अल्टो कार नं0– यू0पी0 43 ए0एम0 7331

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव थाना मोतीगंज।
02. उ0नि0 विवेक कुमार
03. हे0का0 रामप्रकाश सिंह
04. का0 अनिल कुमार सिंह
05. का0 राजेन्द्र यादव
06. म0का0 अनीता चौरसिया

मीडिया सेल, गोण्डा।